15.05.18

राज्य द्वारा एठडी०पी०ओ० उप०। आरोपी सहित अधिववता श्री वेठपी० राठौर उप०। प्रकरण आज खपापेण हेत् नियत है। आज दिनाक को उपापेण पर जगरापको के तर्वा श्रवण किये

गर्य।

लुपूर्ण पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरबी केन्द्र मी द्वारा अपराध कमीक 226/17 अंतर्गत धारा 353, 332, 186, 294, 506, 452 एवं 333 भावयवस्व के अंतर्गत आरोपी जयसिंह के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अवियोगपत्र व संलग्न वंश्लावेजों के अंवलोकन से प्रथम दृष्ट्या आरोपी के विकाद भाठवंठरांठ की धारा 353, 332, 188, 294. 506, 452 एवं 333 के विधारण के पर्याप्त तथ्य विद्यागन है आरोपी पर आरोपित अपराध अनन्य रूप से माननीय सन्न न्यायालय के द्वारा विधारणीय है अत प्रस्तुत प्रकरण चप्रश् की धारा 209 के अंतर्गत पाननीय सत्र न्यायालय मिण्ड की ओर सादर उपाणित किया जाता

आरोपी को दग्नस की धारा 207 के अंतर्गत अमियोग पत्र एवं सलग्न दस्सावेजों की निशुस्क प्रतिया प्रवान की जा चुकी

प्रकरण में जातश्वा फर्ट हुए वस्तावेज प्रकरण के साध्य संज्ञान है।

प्रकरण में आरोपी जयसिंह जमानत पर है। अंत आरोपी की निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी तिथि दिनांक 30.05.2018 की प्रांत 11.00 बजे माननीय प्रथम अपर राज न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में उपस्थित रहें।

उपार्पण की सूधना गालखाना नाजिए एव जिला लोक अभियोजन अधिकारी मिण्ड को प्रेवित की जावे।

प्रपत्र माननीय सत्र नगयालय मिण्ड को प्रेवित किये जाये।

(प्रतिका अंपर्था) जीवप्रमाण्यावर्गाव, गोहर